उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Telefax : 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन कॉम्पलेक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003 टैलीफैक्स: 0135-2754041
E-mail : upnl.ua@rediffmail.com

यू0के–33158 / ई0पी0एफ0 / उपनल

दिनांक : 11 मई 2017

भविष्य निधि (EPF) अनुभाग

ई0पी0एफ0 प्रशासनिक (ADMINISTRATIVE) अंशदान मे कटौती 0.85 प्रतिशत से धटाकर 0.65 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में।

1. कृपया आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 742 दिनांक 15 मार्च 2017 जिसकी फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की गई है के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि 01 अप्रैल 2017 से प्रशासनिक (Administrative) शुल्क 0.85 से 0.65 कर दिया गया हैं वर्तमान अंशदान का विवरण निम्नवत्त है:–

ई0पी0एफ0 अंशदान :–

(क)	मुख्य नियोक्ता का अंशदान	– 13.15 प्रतिशत
(ख)	कर्मचारी का अंशदान	– 12.00 प्रतिशत
		कुल 25.15 प्रतिशत

सू0मे0 रघुबीर सिंह बिष्ट (से0नि0)
कार्यालय अध्यक्ष

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपी :–

1. बीजक एवं वेतन अनुभाग (उपनल) – कृपया 01 अप्रैल 2017 से मुख्य नियोक्ता का अंशदान 13.15 के अनुसार विभागो को बिल प्रेषित करें।
2. वेतन अनुभाग (वाहरी विभाग) – कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।
3. आई0 टी0 अनुभाग (उपनल) – कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।
4. लेखा अनुभाग / स्थापना अनुभाग – कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।
5. अनुबन्ध शाखा / आर0पी0ओ0 – कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938
No. 742] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

का.आ. 827(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 39 के साथ पठित पैरा 30 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भागII, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 फरवरी, 2015 को भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 323(अ), तारीख 2 फरवरी, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य निधि के सामान्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा उक्त स्कीम के पैरा 30 और पैरा 38 के उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 अप्रैल 2017 से संदेय प्रशासनिक प्रभारों को प्रत्येक अप्रत्यकारी स्थापन, जिसका कोई अंशदायिक सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमास के लिए पचहत्तर रुपए की न्यूनतम राशि और अन्य स्थापनों के लिए प्रतिस्थापन पांच सौ रुपए प्रतिमास की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए,वेतन के 0.65 प्रतिशत (शून्य दशमलव पैंसठ प्रतिशत) जैसा कि उक्त पैराओं में निर्दिष्ट किया गया है,नियत करती है।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 मार्च, 2017, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बावत संदेय प्रशासनिक प्रभारों जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानों उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[फा. सं. एस-35012/01/2014-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव